फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट **बनाम** **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्री महिपालसिंह
निवासी कुम्हार मौहल्ला
सांतपुर तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 46 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.04.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 26.02.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत के सम्बन्ध पर ग्राम विकास अधिकारीजी द्वारा प्रस्तुत जबाव में दिमागी हालात व मानसिक स्थिति का जबाव दिया गया है। उस सम्बन्ध में अपीलांट को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था, ताकि सरकार द्वारा पेंशन एवं लाभ प्राप्त कर सके। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड को एक ऑनलाईन आवेदन दिनांक 26.02.2026 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत के सम्बन्ध पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जबाव में दिमागी हालात व मानसिक स्थिति का जबाव दिया गया है। उस सम्बन्ध में अपीलांट को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे, ताकि सरकार द्वारा पेंशन एवं लाभ प्राप्त कर सके। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी आबूरोड द्वारा दिनांक 30.03.2026 को ऑनलाईन पोर्टल के द्वारा ही अपीलांट को सूचित कर दिया गया है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, आबूरोड के स्तर पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (रोहिताश्व सिंह तोमर) **जिला कलक्टर, सिरोही**	